



उच्च न्यायालय इलाहाबाद  
लखनऊ

धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन  
संख्या - 498 / 2026

मयूर सूर्यवंशी

बनाम

..... आवेदक

उत्तर प्रदेश राज्य माध्यम से प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ

..... प्रतिवादी

---

आवेदक के अधिवक्ता : इमरान आसिम खान, ऐश्वर्या सक्सेना  
प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूर्णेंद्र चक्रवर्ती, जिनकी सहायता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री इमरान आसिम खान ने की, को सुना तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख (रिकॉर्ड) का भी अवलोकन किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक, वाद अपराध संख्या 297/2025, भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 467, 468, 471, 120ख, 201, थाना कोतवाली नगर, जिला बलरामपुर के अंतर्गत अग्रिम जमानत चाहता है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोप है कि सह-अभियुक्त फिरोज अहमद, जो पिछले 5-6 वर्ष से डीसीएमडीएम के तौर पर कार्य कर रहा था, ने विद्यालय/मدرसे के संबंधित प्रधान/प्रधानाचार्य के साथ मिलकर मध्याह्न भोजन योजना के तहत दी गयी लोक निधि का दुर्विनियोग किया है। आगे आरोप है कि इस तरह के दुर्विनियोग को छिपाने के लिए, उसने धन के अनुदान एवं संवितरण से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर की तथा एक्सेल शीट के साथ छेड़छाड़ की ताकि जिले के सक्षम अधिकारियों को अनियमितताओं का पता न चल सके।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि हालांकि आवेदक का नाम प्राथमिकी में है, लेकिन उसके विरुद्ध धन के दुर्विनियोग, दस्तावेजों में हेराफेरी या किसी आपराधिक षड्यन्त्र में शामिल होने का न तो कोई विशिष्ट आरोप है और न ही कोई सामान्य दोषारोपण है। प्राथमिकी से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी मुख्य रूप से सह-अभियुक्त फिरोज अहमद तथा कुछ विद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध है, न कि मौजूदा आवेदक के विरुद्ध।

आगे यह भी कहा गया है कि जिन अपराधों का आरोप है, उनमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 409, 467, 468, 471, 120-ख एवं 201 शामिल हैं। हालांकि, जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 409 का प्रश्न है, यह कहा गया है कि आवेदक न तो कोई सरकारी कर्मचारी है और न ही उसे कभी कोई सरकारी संपत्ति या धन सौंपा गया था। सौंपे जाने की गैर-मौजूदगी में, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत अपराध बनाने के लिए आवश्यक घटक है, आपराधिक न्यासभंग का आवश्यक घटक पूरी तरह से अनुपस्थित है। आवेदक एवं राज्य या किसी सरकारी अधिकारी के बीच कोई प्रत्ययी या आधिकारिक संबंध नहीं था। इस तर्क के समर्थन में, गुजरात राज्य बनाम जसवंतलाल नथालाल, साधुपति नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

**भद्रेश बिपिनभाई शेट बनाम गुजरात राज्य और एन. राघवेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि आवेदक द्वारा ज़मानत आवेदन के प्रस्तर 21 में दो मामलों के अपने आपराधिक इतिहास को विधिवत रूप से समझाया गया है। यह कहा गया है कि आवेदक को सिर्फ इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वह विद्यालय में मरम्मत, नवीनीकरण एवं निर्माण कार्य के कार्य के लिए या गांव के प्रधान, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अभिभावक समिति के निर्देशों के अनुसार अन्य कार्यक्रम के लिए, एक निजी व्यक्ति के तौर पर कार्य कर रहा था। यह भी कहा गया है कि मात्र संविदात्मक अनुबंध पर कार्य करने पर, किसी कथित अपराध में भागीदारी के किसी विशिष्ट कृत्य या साक्ष्य के अभाव में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 409 या किसी अन्य धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व आकर्षित नहीं होता है। आवेदक अन्वेषण में सहयोग करने का वचन देता है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में मध्याह्न भोजन योजना के लिए दी गयी लोक निधि का दुर्विनियोग, गंभीर आरोप है तथा अभियोजन में आवेदक पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।

अभिलेख (रिकॉर्ड) का अवलोकन किया।

अभिलेख (रिकॉर्ड) के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं है तथा प्रथम दृष्टया में ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई सरकारी संपत्ति या लोक निधि सौंपी गयी थी।

**साधुपति नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए तथा यह देखते हुए कि जिन अपराधों का आरोप है, उन पर मजिस्ट्रेट मुकदमा चला सकता है, साथ ही आवेदक की ओर से अन्वेषण में सहयोग करने का वादा भी किया गया

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, मेरी राय है कि आवेदक को इस शर्त पर अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए कि आवेदक अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण करने वाली संस्था के साथ पूरा सहयोग करेगा।

ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आवेदक को ऊपर बताए गए वाद अपराध संख्या में अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, अगर वह गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / अन्वेषण करने वाले अधिकारी / संबंधित थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ एक स्वीय बंधपत्र प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित शर्तों के साथ :-

आवेदक, आज से बीस दिनों के भीतर अन्वेषण अधिकारी के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करेगा। वह अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा। अभियुक्त-आवेदक तब भी मौजूद रहेगा जब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी / अन्वेषण अधिकारी / संबंधित थानाध्यक्ष उसे अन्वेषण/पूछताछ के लिए बुलाएगा। आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना ज़िला नहीं छोड़ेगा।

आवेदन स्वीकृत।

19 मार्च, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।